न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2025/62
मैन्युअल नंबर 10/2025

रजु दिनांकः :— 01.09.2025

1. कैलाश चन्द पुत्र हरलाल उम्र 48 वर्ष जाति मीना निवासी भांवता तहसील राहूवास जिला दौसा राज0

(निगरानीकर्त्ता)

बनाम

1. गोपाल पुत्र गैन्दाराम (फौत)
   1/1 पवन } पि0 स्व. गोपाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता
   1/2 विकास } कमोद देवी पत्नी स्व. गोपाल मीना
   1/3 कमोद देवी पत्नी स्व गोपाल

   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम भांवता तहसील राहूवास जिला दौसा राज0
2. तत्कालीन ग्राम पंचायत पालून्दा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पालून्दा तहसील राहूवास जिला दौसा
3. तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी जरिये ग्राम पंचायत पालून्दा तहसील राहूवास जिला दौसा
4. वर्तमान ग्राम पंचायत भांवता जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भांवता तहसील राहूवास जिला दौसा राज0
5. वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भांवता तहसील राहूवास जिला दौसा राज0
6. राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा राज0

(गैर निगरानीकार)

उपस्थितः— 01. निगरानीकर्त्ता की ओर से : श्री ओमप्रकाश सैनी एडवोकेट
02. गैर निगरानीकारान की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः 16/02/26

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20.01.2014 बाबत पट्टा संख्या 19 योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत पालून्दा तहसील राहूवास जिला दौसा राज0

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार की ओर से एक निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20.01.2014 बाबत पट्टा संख्या 19 अधीनस्थ ग्राम पंचायत पालून्दा तहसील राहूवास जिला दौसा इस आशय की पेश की गई कि आबादी भूमि खसरा नं0 12 वाकै ग्राम

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

भांवता तहसील राहूवास जिला दौसा में एक भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 350 वर्गगज है। उक्त भूखण्ड 350 वर्गगज निगरानीकार का कब्जा शुदा स्वामित्व व आधिपत्य का है। उक्त भूखण्ड पर निगरानीकार का आधिपत्य व कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है। निगरानीकार ने उक्त भूखण्ड पर पुख्ता मकान मय बाउण्ड्रीवाल बना कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। गैर निगरानीकार संख्या 1 का उक्त भूखण्ड से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार वास्ता नही है ना ही कभी कोई आधिपत्य रहा है ना ही वर्तमान में है। ग्राम पंचायत पालून्दा के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी से मिली भगत करके आपस में एक साजिश के तौर पर 350 वर्ग गज का प्रश्नगत पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के अधीन भूमि आवंटन कर विधि व नियम विरूद्ध जारी कर दिया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया प्रश्नगत पट्टा खसरा नं0 12 में से जारी किया गया है जिसमें प्रश्नगत पट्टे की भूमि के भू भाग पर निगरानीकार का कब्जा करीब 100 वर्षो से अनवरत आधिपत्य चला आ रहा है। निगरानीकार को बिना सूचना बिना सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किये ही कब्जे बाबत एवं अन्य तथ्यों की जांच किये बिना ही प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया गया जो निरस्तनीय है। प्रश्नगत पट्टा जारी करते समय न तो नियम उपनियम की पालना की गई और ना ही कोई आपत्ति नोटिस विधिवत जारी किये एवं उक्त भूखण्ड का मौका निरीक्षण किये बगैर ही अनुचित रूप से नियम कानून को ताक में रखकर प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया। इस प्रकार कथन करते हुए निगरानीकार ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.01.2014 ग्राम पंचायत पालून्दा को विधि विरूद्ध एवं सामान्य सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय करार दिया है।

निगरानीकार ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 पेश कर निगरानी स्वीकार फरमाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.01.2014 ग्राम पंचायत पालून्दा तहसील राहूवास को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। निगरानीकार की ओर से गैर निगरानीकार सं0 1 गोपाल की मृत्यु होना जाहिर करते हुए दिनांक 24.09.2025 को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र कायम मुकाम दिनांक 12.11.2025 को स्वीकार किया जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1/1 लगा0 1/3 को रिकॉर्ड पर लिया गया। गैर निगानीकारान की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही आया। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख ग्राम पंचायत पालून्दा से तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पालून्दा द्वारा पत्र क्रमांकःग्रा.पं./पालून्दा/sp-2 दिनांक 29.12.2025 के माध्यम से प्रश्नगत पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.01.2014 से संबंधित कोई रिकॉर्ड/फाईल कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में नही होने बाबत रिपोर्ट पेश की गई।

अधिवक्ता निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए दलील पेश की है कि ग्राम पंचायत में न तो उक्त पट्टा दर्ज है न ही उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि पर निगरानीकार का निर्माण होकर कब्जा है तथा कमरे वगैरह बने हुए है

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

जिसकी फोटोग्राफ निगरानीकार की ओर से पेश की गई। गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टे पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे दिये गये है जबकि नियम 157 के तहत पुराने मकान, कब्जा नही हो तो पट्टा नही दिया जा सकता है। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी स्वीकार फरमाकर पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.01.2014 ग्राम पंचायत पालून्दा तहसील राहूवास को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता निगरानीकार ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है:–

RRT 2011(2) पेज नं0 1219 Prabhati Lal vs. Additional District Collector Sikar

उक्त कानूनी दृष्टांत में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "Allotment of land- cancellation of allotment made in favour of respondent No.2 on the ground of non-vailability of record-Addl. Collector also cancelled the patta subsequently issued in favour of the petitioner-Patta of the same land issued to petitioner-Patta issued to respondent No.2 not challenged-Held, Order does not suffer from any legal infirmity & upheld."

Citation – 2017(3) CJ(Civ.) (Raj.) पेज नं0 1488 Ghewar Chand & Anr. Vs. State of Rajasthan & Ors.

उक्त कानूनी दृष्टांत में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि ''राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994–धारा 97–पंजीकृत पट्टे की वैधानिकता को चुनौती देने हेतु पुनरीक्षण की व्याप्ति– पट्टे का पंजीकरण केवल एक आनुषंगिक घटना है तथा जब पट्टा उसे प्राप्त किये जाने वाले नियमों के विरोधकारी पाया जाय तो केवल उसका पंजीकृत हो जाना एक सुरक्षित शरण के रूप में नही माना जा सकता– ऐसे पट्टे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द का आनुषंगिक प्रभाव उसके पंजीकरण को निष्प्रभावी तथा गैर आनुषंगिक ठहरा देगा ''

Citation – 2016(4) DNJ (Raj.) 1799 Shanti Devi Bishnoi (smt.) vs State of Rajasthan & Ors.

उक्त कानूनी दृष्टांत में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि ''राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996– नियम 157– पट्टा रद्द करने हेतु निगरानी– जिला कलेक्टर ने पट्टा निरस्त किया– पट्टा से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था–नियम 157(2) के उल्लंघन में पट्टा जारी किया–मौके पर निर्माण, झौंपडी या कच्चा मकान होना साबित करने हेतु साक्ष्य नहीं– मौके के फोटो भी पेश नहीं किये– साबित करने हेतु सामग्री नहीं कि याचीगण के पास अन्य मकान अथवा मकान की जगह नहीं है– निर्णीत, याचीगण पट्टा स्वीकृत करने हेतु योग्य नहीं थे तथा कलेक्टर ने पट्टा सही निरस्त किया। ''

अधिवक्ता निगरानीकार ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न अन्य न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये है:–

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

Citation – 2017(2) CJ(Civ.)(Raj.) 1274 Budhmal Vs. Additional District Collector, Jalore (Raj.) & Anr.

Citation – 2018(1) CJ(Civ.)(Raj.) 572 Mohan Kanwar vs Addl. Dist. Collector, Pali

हमने अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। अधिवक्ता निगरानीकार की दलील है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। अधिवक्ता निगरानीकार के रिकॉर्ड अनुपलब्धता के कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पालून्दा की रिपोर्ट दिनांक 29.12.2025 से स्पष्ट तौर पर होती है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.01.2014 की प्रति अनुसार उक्त पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियम 157 के तहत पट्टा केवल पुराने मकान होने पर ही दिया जा सकता है तथा हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रश्नगत पट्टा धारक का पट्टे से संबंधित भूमि पर कोई पूर्व निर्मित मकान या कब्जा हो। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत पालून्दा द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.01.2014 जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं किया जाना भी परिलक्षित होता है। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि पर पट्टाधारक का कोई कब्जा रहा हो या वर्तमान में कब्जा हो, इस बाबत भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत निगरानीकार की ओर से मौके पर स्वयं का कब्जा होना जाहिर करते हुए मौके का फोटोग्राफ पेश किया है। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत पालून्दा में उपलब्ध नही होने, प्रश्नगत पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने एवं पट्टा धारक का प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि पर कब्जा होने बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रश्नगत पट्टा खारिज योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.01.2014 ग्राम पंचायत पालून्दा खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/02/26...को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)
(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा